

क्रमांक 271 / ई-टेंडरिंग / 2018-19 / ४५९६  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग  
जल संसाधन भवन, तुलसीनगर, भोपाल (म.प्र.)  
ईमेल - encwrbpl-mp@nic.in  
दूरभाष 0755-2552646, 2552878, फैक्स 0755-2552406  
भोपाल, दिनांक ०१/११/२०१८

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता

विषय—वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में अनुबंधित कार्यों की जानकारी।

संदर्भ—कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. भोपाल का पत्र क.  
फाग/आ.क्षे-I/जा-227 दिनांक—११/१०/२०१८

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीनस्थ संरचनाओं अन्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं  
2017-18 में राशि रु. 1.00 करोड़ से अधिक की संविदाओं की जानकारी संदर्भित पत्र में  
संलग्न प्रपत्र अनुसार कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), भोपाल  
को शीघ्र प्रेषित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

حس 31.10.18  
(ए.के.जैन)  
मुख्य अभियंता (प्रो)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, भोपाल  
भोपाल, दिनांक ०१/११/२०१८

पृष्ठा क्रमांक 271 / ई-टेंडरिंग / 2018-19 / ४५९७

प्रतिलिपि:-

वैद मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर वेबसाईट  
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

حس 31.10.18  
(ए.के.जैन)  
मुख्य अभियंता (प्रो)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, भोपाल



कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), म.प्र.  
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल  
Office of the Accountant General (E & R Sector Audit),  
M.P.

53, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal  
दूरभाष - 0755-2553677-78

16 OCT 2018

क्र./ फाग/आ.क्षे.-I/जा.- 227

दिनांक : 11/10/18

प्रति,

प्रमुख अधिकारी,  
जल संसाधन विभाग, नर्मदा भवन, तुलसी नगर,  
भोपाल - 462003

C.E.(S)	S.E. (A)
C.E.(H.M)	8
C.E.(P)	✓
S.E.(Major)	1614
S.E.(W)	S.P.A. S.A. E.D.E

विषय:- वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में अनुबंधित कार्यों की जानकारी।

E.N.C.

महोदय,

म.प्र. रिलीय सहिता भाग-I के ऐप्टर-II के नियम 19 के अनुसार उनी नियन्त्रण अधिकारियों की किसी भी विभाग को उनके दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन के उनी आवश्यक सुनिधार/सूचनाएँ प्रदान करें। इसी सहिता के ऐप्टर-II के नियम 20 के अनुसार उनी सत्यीकृतियों महालेखाकार को प्रेषित की जानी चाहिए।

कार्य विभाग नियमावली की कपिडका 2092 के अनुसार रु. 5.00 लाख से अधिक के सदिवाओं की सत्यापिता प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जानी चाहिए। किन्तु इस कार्यालय में आपके विभाग से वर्ष 2016-17 में कुल 69 (उन्हतर) अनुबंध तथा 2017-18 में कुल 45 (पंतालिस) अनुबंध प्राप्त हुए हैं।

C.E.(PSC)

प्राण जानकारी के अनुसार अनुबंध इससे कहीं ज्यादा संख्या में हुए हैं। अतः इस कार्यालय को अवगत करायें कि क्या किसी आदेश के तहत अनुबंध नहीं भेजा जा सकता है ? जिससे प्रकरण शासन सत्र पर चर्चा की जा सके।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में रु. 1 करोड़ से अधिक राशि के जो अनुबंध किए गये हैं ऐसे सभी अनुबंधित कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

30/10

SE(R)

संलग्न - एक प्रपत्र

1320  
17.10.18

P.E.(T.S)  
18/10

भवदीय

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/फाग  
11/10/18

## प्रपत्र

वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि में।  
रु. एक करोड़ से अधिक राशि के अनुबंधित कार्यों की जानकारी।

संक्र.	कार्य का नाम	पी.ए.सी.	अनुबन्ध क्रमांक	ठेके की राशि	संबंधित संसाग का नाम
1	2	3	4	5	6

कार्यालय प्रमुख